न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 24/2017/अपील/आर्म्स/बूंदी
दायरा दिनांक 3.4.2017
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

मुरारीलाल कहालिया आत्मज श्रीनाथ कहालिया निवासी वार्ड 15 के0 पाटन जिला बूंदी–राज0।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रूपेश कुमार श्रृगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 6.8.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 81 दिनांक 18.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1145/93 को नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी के यहां प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट ली गई जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने अपनी रिपोर्ट DSB/BUNDI/A –(10) ARM.RIN (R)/15/4049 दिनांक 11.3.2015 मे प्रार्थी के विरूद्ध मुक0 सं0 31/10 अन्तर्गत धारा 341, 143, 283 आईपीसी व 8 बी.रा. राज. मार्ग एक्ट का आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से शस्त्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई। पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या संख्या 1145/93 को आदेश संख्या 81 दिनांक 18.5.2016 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 9016 को अविलम्ब थाना के0 पाटन मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के पेश की गई कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण चक्का जाम से संबधित घटना के संबध मे है। उक्त घटना के समय अपीलांट घटना स्थल पर मौजूद नही था

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पुलिस द्वारा अन्य लोगो के साथ–साथ अपीलांट का नाम द्वेषतावश जोडा गया है। उक्त प्रकरण शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। ऐसी स्थिति मे मुकदमा दर्ज होने मात्र के आधार पर दोषी नही ठहराया जा सकता अतः उक्त आदेश पूर्णतया अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं गैर कानूनी है। अपीलांट वर्ष 1993 से अनुज्ञापत्रधारी है शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई आरोप नही है, चाल चरित्र के संबध मे भी कोई आरोप नही है उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया महज पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। उक्त आदेश की जानकारी जरिये डाक दिनांक 10.3.17 को प्रति प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 18.5.2016 खारिज कर शस्त्र अनुज्ञापत्र पुनः बहाल कर नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश एक पक्षीय पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित किया है जो नेचुरल जस्टिश के विरूद्ध है। न्यायालय मे विचाराधीन मुक0 शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। मुकदमा दर्ज होने मात्र से अपीलांट को दोषी नही ठहराया जा सकता। शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई नही है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश अवैधानिक, त्रुटिपूर्ण एवं गैर कानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गम्भीर आपराधिक धाराओं मे अपीलांट के विरूद्ध मुक0 सं0 31/10 अन्तर्गत धारा 341, 143, 283 आईपीसी व 8 बी.रा.राज. मार्ग एक्ट का दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन है जिससे अपीलांट का चाल चरित्र आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही है। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा भी शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है लिहाजा अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विलम्ब का कारण अपीलाधीन आदेश की प्रति जरिये डाक दिनांक 10.3.2017 को प्राप्त होना वर्णित करते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य जाने का अनुरोध करते हुये कथन के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट DSB/BUNDI/A –(10) ARM.RIN (R)/15/4049 दिनांक 11.3.2015 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे मुक0 सं0 31/10 अन्तर्गत धारा 341, 143, 283 आईपीसी व 8 बी.रा.राज. मार्ग एक्ट का दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन है जो प्रकरण मे स्वीकार्य तथ्य है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जेरअपील आदेश एक पक्षीय रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण दर्ज होने से मात्र से दोषी नही ठहराया जा सकता। प्रकरण शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। पुलिस रिपोर्ट एवं जेरअपील हुक्म अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध उक्त वर्णित मुक0 गम्भीर आपराधिक धाराओं मे दर्ज होकर वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का चाल चरित्र आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करता है ऐसी स्थिति मे आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना लोक सुरक्षा व लोक शांति के मध्यनजर कतई उचित नही ठहराया जा सकता। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश संख्या 81 दिनांक 18.5.2016 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा